

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 667/2024

अनवान : -

1. रामनिवास पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. दानाराम उर्फ दानमल पुत्र महादेव जाति ब्राहमण निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 14/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 491/487 की कुल 14.6360 में वादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब 2/3 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा महादेव के नाम दर्ज थी फिर वादीगण के पिता व प्रतिवादी स0 1 के नाम बहिब दर्ज हुई तथा रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 491/487 की कुल 14.6360 हैकट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। वादीगण व प्रतिवादी स0 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा उक्त भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी स0 1 के बीच समझौता हो चुका है तथा मुताबिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी स0 1 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी भूमि पर वादीगण बहिब काबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी मुताबिक अनुतोष

al

उ अधिकारी  
नोहर

डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा महादेव के नाम दर्ज थी फिर वादीगण के पिता व प्रतिवादी स0 1 के नाम बहिब दर्ज हुई तथा रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 491/487 की कुल 14.6360 हैकट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। वादीगण व प्रतिवादी स0 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा उक्त भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी स0 1 के बीच समझौता हो चुका है तथा मुताबिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी स0 1 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 491/487 की कुल 14.6360 में वादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब 2/3 हिस्सा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा महादेव के नाम दर्ज थी फिर वादीगण के पिता व प्रतिवादी स0 1 के नाम बहिब दर्ज हुई तथा रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 491/487 की कुल 14.6360 हैकट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज हुई। वादीगण व प्रतिवादी स0 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा उक्त भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी स0 1 के बीच समझौता हो चुका है तथा मुताबिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी स0 1 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी स0 1 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की

जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 491/487 की कुल 14.6360 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 667/2024

अनवान : -

1. रामनिवास पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. कालुराम पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. दानाराम उर्फ दानमल पुत्र महादेव जाति ब्राहमण निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 667 सन 2024 निर्णय दिनांक 14/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 491/487 की कुल 14.6360 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

21  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर